आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......07..../17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.7.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सहरसा सदर थाना कांड संख्या–150/17 दिनांक–19.02.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सहरसा सदर थाना कांड संख्या–150/17 दिनांक–19.02.17 पु0अ0नि0 नितेश कुमार, सदर थाना सहरसा के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 01. रौशन कुमार पे0 अनिल रजक साकिन–नया बाजार, वार्ड नं0–02 थाना व जिला–सहरसा के विरूद्ध अवैध शराब रखने तथा पीने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ। उक्त विदेशी शराब और मोटर साईकिल को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई जिससे वाहन से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ	

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा

11.7.18

है। उक्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन मोटर साईकिल से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन मोटर साईकिल का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– OR-18B-4143 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.2.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.2.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहरणालय सरहसा

(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1097-2/विधि, दिनांक 25-7-2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.17
प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।